



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 857) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

19 मार्च 2020

सं० 3313—श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, दूबे की सरैया, जिला—कैमूर जो सार्वजनिक न्यास है और पर्षद में इसका निबंधन सं०—3063 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—2163, दि० 10/02/2010 द्वारा आठ सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति का कार्य कुछ हद तक संतोषजनक था, क्योंकि समिति के द्वारा न्यास की अतिक्रमिता भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और उसकी सुरक्षा का प्रयत्न किया गया, परंतु सचिव द्वारा न्यास की 0.50 डी० जमीन अपने परिवार को बिना किसी बन्दोवस्ती के अवैध रूप से दे दिया गया तथा ये शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गये हैं। अतः अंचलाधिकारी से समिति के गठन हेतु नामों की मांग की गयी। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा एक स्वयं-भू समिति बना कर न्यास की व्यवस्था किये जाने की सूचना पर्षद को प्राप्त हुई। पर्षदीय पत्रांक 2141, दि० 27/10/2016 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ) प्राप्त आवेदनों की छायाप्रति संलग्न करते हुए 11 सदस्यों के नाम तथा सत्यापन किये जाने का अनुरोध किया गया। अंचल कार्यालय का पत्रांक—891, दि० 13/07/2018 पर्षद को प्राप्त हुआ, जिसमें 11 सदस्यों के नाम का उल्लेख किया गया। पर्षदीय पत्रांक—1066, दि० 16/11/18 द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर, भभूआ को चरित्र—सत्यापन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। पर्षदीय पत्रांक—1275, दि० 25/10/19 द्वारा न्यास की व्यवस्था हेतु एक 11 सदस्यीय अस्थायी समिति की स्वीकृति प्रदान की गयी। ज्ञापांक—988, दि० 21/11/19 पुलिस अधीक्षक, कैमूर (भभूआ) द्वारा चरित्र—सत्यापन प्रेषित किया गया। इस बीच पर्षद ने दोनों पक्षों के बीच आरोप—प्रत्यारोप के आलोक में सुनवायी की गयी तथा आदेश दि० 07/03/2020 द्वारा 11 सदस्यीय न्यास समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में तथा पूर्व न्यास समिति के द्वारा अपने कार्यकाल में किये कार्यों पर विचारोपरांत श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, दूबे की सरैया, जिला—कैमूर के सुचारु देखरेख तथा इसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा और सुव्यवस्था हेतु एक न्यास समिति गठित की जाती है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा—32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, दूबे की सरैया, जिला—कैमूर” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “**श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास योजना, दूबे की सरैया, जिला- कैमूर**” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “**श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास समिति, दूबे की सरैया, जिला- कैमूर**” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकालकर खर्च किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है। बोर्ड का गठन के पश्चात स्थायी पर विचार किया जायेगा:-

- | | | |
|------|---|-------------|
| (1) | अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ (पदेन) | —अध्यक्ष |
| (2) | श्री राजनाथ सिंह पिता— स्व० सागर सिंह | — उपाध्यक्ष |
| (3) | श्री गंगा राम पिता— स्व० मिर्जा राम | |
| (4) | श्री भूपेन्द्र सिंह पिता— लालजी सिंह | |
| (5) | श्री प्यारे राजभर पिता— पधौरी राजभर | |
| (6) | श्री नारायण राजभर पिता— स्व० रामावतार राजभर | |
| (7) | श्री छोटु धोबी पिता— स्व० मुल्लन धोबी | |
| (8) | श्री केदार यादव पिता— स्व० शंकर यादव | |
| (9) | श्री शिव हजाम पिता— स्व० बच्चन हजाम | |
| (10) | श्री रामाशंकर नोनिया पिता— स्व० श्री नोनिया | |
| (11) | भूनिया कुंवर पति— स्व० बुद्ध चौहान | |

सभी निवासी— ग्राम— मेढ़, पो०— सिरसी, था०— चैनपुर, कैमूर (भभूआ)।

अनुमंडल पदाधिकारी, समिति के सदस्यों में से सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्षद को सूचित करेंगे तथा मंदिर के खाते का संचालन अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। मंदिर के जमीन की बन्दोवस्ती प्रतिवर्ष खुले डाक से की जायेगी, जिसकी सूचना पर्षद को भी दी जायेगी तथा जो 5-6 मुकदमें लंबित हैं, इसकी सूची पर्षद को उपलब्ध करायी जाय।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, दूबे की सरैया, जिला-कैमूर" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:- न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलान / विक्रय / पट्टा / लीज आदि दो वर्ष से अधिक पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 857-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>